

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—: कार्यालय आदेश :-

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा 2013 द्वारा चयनित हो जाने पर राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार में बाल विकास परियोजनास अधिकारी के पद पद नियुक्ति हो जाने पर निम्नांकित कार्मिक को इस विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र.स	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि)	विषय	संबंधित विभाग के नियुक्ति आदेश के क्रमांक एवं दिनांक
01	श्री शेर खान	इतिहास	निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक-एफ-1(2)(2)स्था/आई.सी.डी.एस/15/152328 दिनांक 29.02.2017

संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें।




(नथमल डिडेल)

आईएसएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-2/इति./अन्यत्र विभाग कार्यमु0/2017-18 दिनांक:-09.10.2017
प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, संबंधित विभाग।
3. संबंधित उपनिदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय)
5. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक
6. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर